

अनुमति की शर्तें ।

- (1) उक्त माल/पुस्तक के निवेश की स्वीकृति स्वयंसेवक द्वारा की जा सकती है ।
- (2) किसी भी प्रकार का निवेश (मार्केटिंग, सार्वजनिक, व्यक्तिगत या अन्य) होने की शर्तों में निवेश का कोई-प्रकार का निवेश नहीं होगा ।
- (3) उक्त माल/पुस्तक का उपयोग केवल ही आवश्यक निवेश को सुविधा देगा ।
- (4) स्वीकृत माल के निवेश निर्माण पर जाने पर स्वीकृत निवेश की जा सकती है ।

एकल शिक्की केवल आवासीय प्रयोजनार्थ

कार्यालय नगर निगम, जोधपुर

आवेदन क्रमांक 443 दिनांक 23/01/2020

प्राप्ति सुजान लाल सोनी जी.डी.पी. 2 प्लॉट मुख्य

ने राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009

धारा 194 (7) (घ) के तहत आवासीय

मकान निर्माण हेतु मान्यत्र कार्यालय में परा

कर स्वनिर्धारण राशि रुपये 10,35,000/- जमा

करिये पत्रादेश संख्या 1022/2017 दिनांक 27/01/2020 को जमा करा दी है ।

P.O: 118 कभला नैदकनपत
राजीव वित्तिय

श्री (1)
आवासीय

29/01/2020

सहायक नगर नियाजक
नगर निगम, जोधपुर

Swat
6377880171